बी॰ए॰ भाग-3
हिन्दी प्रतिष्ठा
सप्तम पत्र- भाषाविज्ञान

रमेश कुमार यादव
हिन्दी- विभाग
डी॰ के॰ कालेज
डुमराँव, बक्सर



## व्यक्ति - समाज भाषा का उपयोग

कहने की आवश्यकता नहीं की भाषा के उपयोग का सबसे व्यापक क्षेत्र व्यक्ति और समाज के सम्पर्क से उत्पन्न होता है। मनुष्य का अपने आप से या किसी दूसरे व्यक्ति से भाषा की दृष्टि से जो सम्बन्ध है वह अपेक्षाकृत सीमित है। जिस प्रकार कोई कार्य करने के लिए अपने अंगों में भी समन्वय करने की आवश्यकता होती है - एक पैर पूर्व को चलने लगे और दूसरा पश्चिम को, तो गन्तव्य स्थान तक पहुँचना असम्भव हो जायेगा - उसी प्रकार सभी व्यक्ति समाज रूपी अंगी के अंग होते है और परस्पर समन्वय और संघटन करके ही लोक - यात्रा सुगम बनायी जा सकती है। जिस समाज में इस समन्वय और संघटन की कमी होती है, उसमें हर कदम पर बाधा और कठिनाई का अनुभव होता है। सामाजिक दृष्टि से भाषा के चार मुख्य उपयोग हैं—

(1) सूचन (2) प्रेरण (3) रसन (4) चिन्तन

(1) भाषा का बहुलांश सूचनात्मक होता है। तकनीकी विषय, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि का उद्देश्य किसी न किसी प्रकार की सूचना देना ही है।

किन - किन तत्वों के मिश्रण से वायु अथवा जल का निर्माण होता है; अशोक ने कब से कब तक राज्य किया और प्रजा की भलाई के लिए कौन - कौन से कार्य किये; भारत का भौगोलिक विस्तार कितना बड़ा है और कहाँ क्या है, आदि बातें सूचना की ही कोटि में आती हैं। समाचार-पत्र मुख्यतः कहाँ क्या हो रहा है, इसी की सूचना देते हैं।

(2) प्रेषण की भाषा का गत्यात्मक उपयोग कह सकते हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जनमत के निर्माण या किसी वस्तु के पक्ष - विपक्ष में धारणा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। राजनीतिक मैनिफेस्टो, चुनाव के परचे, प्रचार विज्ञापन, नेताओं के भाषण आदि इसी कोटि में आते हैं। इसका उद्देश्य सूचना देना नहीं, बल्कि जनमत को अपने पक्ष में करना होता है। नारा भी इसी कोटि की चीज़ है जैसे, रोज़ी रोटी कपड़ा दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो! इस नारे का उद्देश्य असंतुष्ट लोगों के असन्तोष को उभारकर सरकार पर दबाव डालना है।

राजनीतिक विप्लव, महायुद्ध आदि भाषा के इसी प्रकार के कारण होते हैं। इस्लाम खतरे में के नारे ने मुसलमानों की धर्मान्धता को उभारकर भारत के दो टुकड़े करा दिये।

विभाजन के बाद से पाकिस्तानी नेता धर्म के नाम पर अपने देश की जनता को उभारते रहे और भारत पर आक्रमण के लिए प्रेरित करते रहे जिसके परिणामस्वरूप युद्ध होकर रहा। भाषा के प्रयोग का यह सबसे खतरनाक रूप होता है। इस स्थिति में समाज की विवेक - शक्ति कुंठित हो जाती है और वह नेताओं के वाग्जाल में फँसकर अकार्य और अनर्थ करने को भी प्रस्तुत हो जाता है।

(3) सामाजिक दृष्टि से भाषा का तीसरा उपयोग रचनात्मक या आस्वादनात्मक है जिसमें भाषा का रमणीय पक्ष सामने आता है। रमणीय भाषा का प्रयोग न तो सूचना देने के लिए होता है और न प्रेरणा देने के लिए। उसका मुख्य लक्ष्य है भाव को उद्दीप्त करना। यह ठीक है कि भाव को उद्दीप्त करके भी सूचना दी जा सकती है या किसी कार्य के लिए प्रवृत्त किया जा सकता है, जैसे युद्ध आदि के अवसर पर वीररस की कविता वीरता की भावना को जगाने की दृष्टि से ही रची जाती है, किन्तु उसका प्रभाव प्रधान उद्देश्य सौन्दर्यबोध ही है।

(4) भाषा का अन्यतम सामाजिक उपयोग चिन्तन से सम्बद्ध है। जब हम अपने

अपने मन में कोई वैयक्तिक समस्या सुलझाते हैं या अपने अतीत जीवन का सिंहावलोकन करते हैं या सुनहले भविष्य का स्वप्न देखते हैं तो हमारा यह चिन्तन समाज-निरपेक्ष होता है क्योंकि इसका सम्बन्ध किसी दूसरे से नहीं, स्वयं अपने आप से है। इसके प्रतिकूल धर्म, दर्शन, अर्थनीति, राजनीति आदि का सैद्धान्तिक निरूपण समाज-सापेक्ष चिन्तन के अन्तर्गत आयेगा, कारण कि उसका सम्बन्ध समाज से है। दर्शन, राजनीति या अर्थनीति के सिद्धान्त दूसरों को, अर्थात् समाज को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किये जाते हैं। एक तो उन सिद्धान्तों से बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति होती है, दूसरे वे दूसरों की चिन्तन-शक्ति का विकास करने में सहायक होते हैं। न्यायशास्त्र और वेदान्तदर्शन न सूचनात्मक हैं न प्रेरणात्मक और न रसात्मक। वे चिन्तन से प्रसूत हैं और उनका उद्देश्य है दूसरों के चिन्तन को प्रभावित करना।

रमेश कुमार यादव
असिस्टेंट- प्रोफेसर
हिन्दी - विभाग
डी. के. कालेज, डुमरॉव
बक्सर - बिहार